न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –35 / 2021

1. रामी पुत्री प्रताप पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी श्योराणी हाल दलपतपुरा तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. प्रताप पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. सुशीया पुत्री कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. रोहित पुत्र कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
5. रोशनी कृष्ण नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सीमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 121 की 45 बीघा 9 बिस्वा भूमि यानि 11.4957 हैक्ट भूमि सायला के दादा जीराम वल्द किस्तुराराम की पैदा कर्ता भूमि थी। रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट भूमि कुल 11.4980 हैक्ट भूमि जो सायल के दादा की मृत्यु के बाद इनके तीन पुत्र व तीन पुत्रीयों व पत्नी पर औद हुई एवं तीनों पुत्रीयों ने अपना हक हिस्सा अपनी माता व भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिए रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता सं0 103 / 111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि मे गैरसायल स0 1 का 1 / 4 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायला की दादी तखी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए जमाबंदी में मृतक तखी का 1 / 4 हिस्सा में से 1 / 3 हिस्सा हिस्सा साय[illegible] व [illegible] सायलान न0 1 ता 5 व प्रतिवादी स0 6 का 1 / 3 हिस्सा व दावा में दर्ज [illegible] हिस्सा दर्ज करा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि मे से गैरसायल स0 1 के नाम 1 / 4 हिस्सा दर्ज भूमि [illegible] हिन्दु परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैतृक सम्पति में सायला व गैरसायल स0 2 ता 5 का जन्मसिद्ध अधिकार है वो अराजी मुतनाजा में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से सायला का 1/2 हिस्सा व गैरसायलान स0 2 ता 5 का 1/2 हिस्सा भूमि के खातदोर काश्तकार होने के कारण जमाबंदी में दर्ज करवा पाने की मजाज है।

गैरसायल स0 1 अति व्यसन का आदि है वो आवार चतुर चालाक किस्म के लोगों के शोहबत में है व अपने व्यसन की पूर्ती हेतु वाद भूमि को फरोख्त व बैंक रहन करने पर उतारू है अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला व गैरसायल स0 2 ता 5 को अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें इसलिए गैरसायल स0 1 के खिलाफ हुक्म इम्तनाई द्वामी की डिक्री प्राप्त करने की मजाज है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103/111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में गैरसायल संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल स0 1 रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103/111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज भूमि में से प्रार्थी के हिस्से की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की रामी के कुल छः वारिस हुए जिनका बहिब हक हिस्सा है तथा तखी की लड़किया मेसर, कमला , धर्मा को ना तो पक्षकार बनाया है और न ही उन्होंने अपना हक हिस्सा त्याग किया है इसलिए समस्त पक्षकारों को सुने बिना दावा व दरख्वास्त अधुरा है तथा दावा चलने योग्य नही है एवं न ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है। सायला का उक्त वाद भूमि में हिस्सा बनता ही नही है उक्त भूमि पहले उनके पिता के नाम दर्ज होगी फिर इनका हिस्सा तय होगा। अतः जवाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि सायला पैतृक कृषि भूमि है अतः ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त भूमि में सायला का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि पहले सायला के पिता के नाम दर्ज होगी फिर सायला के नाम दर्ज होगी। उक्त वाद भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तखी पत्नी श्रीराम के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज होना है लेकिन उक्त स्थगन की वजह से विरासतन नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है। सायला का हक हिस्सा केवल अप्रार्थी स0 1 के हक हिस्सा की भूमि में है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी स0 1 व प्रार्थीया की दादी तखी के नाम दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। अप्रार्थीगण का कथन है कि तखी के देहान्त होने के कारण तखी के नाम दर्ज वाद भूमि का विरासतन नामान्तरण उक्त स्थगन आदेश के कारण रूक गया है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि में ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है लेकिन तखी के नाम दर्ज वाद भूमि से स्थगन हटाया जावे ताकि विरास्तन नामान्तरण दर्ज हो सके। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट साबित है की वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थी स0 1 के हक हिस्सा मे ही प्रार्थीया का हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि में प्रताप के नाम दर्ज हक हिस्सा को रहन बैय किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थीगण को तथा उक्त वाद भूमि में तखी के नाम दर्ज भूमि पर अगर ताफैसला दावा निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया को अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से बन रहा है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही तत्व प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित हो रहे है इसलिए अप्रार्थीगण को पूर्ण रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता स0 103/111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में गैरसायल संख्या 1 के नाम जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा की भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्सा की हद तक की भूमि को गैरसायल स0 1 रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं तखी तथा अन्य काश्तकारों के नाम दर्ज वाद भूमि पर दिनांक 23.02.2021 को जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर